02/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200184

न्यास विलेख
(Deed of Trust)

ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट/न्यास

यह ट्रस्ट/न्यास आज दिनांक 02/02/2018 को आनन्दनगर (फरेन्दा), महराजगंज में श्री बजरंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 परमेश्वर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मरहठा, जनपद–गोरखपुर, हाल मुकाम–आनन्दनगर, तप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज उ0 प्र0 द्वारा घोषित किया गया है।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक द्वारा रूपया 11000/–(ग्यारह हजार रूपये मात्र) की धनराशि जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक व शैक्षिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा रखते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रतिसहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट **ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट/न्यास** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्रमशः......2

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BH 200185

यह कि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्त्रोतों से दान, चन्दा, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 11000 / –(ग्यारह हजार रूपया) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। न्यास की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु न्यासकर्ता निम्नांकित घोषणा स्पष्ट व लिखित शब्दों में कर रहा है।

1. **ट्रस्ट का पूरा नाम** :–इस ट्रस्ट का पूरा नाम **ओऽम् शिक्षा एवं सेवा न्यास** होगा। यह न्यास पूर्णतः चैरिटेबुल होगा।
2. **ट्रस्ट का पंजीकृत पता** :–इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय आनन्दनगर, तप्पा–लेहड़ा, परगना–हवेली, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज उ0 प्र0 पिन–273155 उ0 प्र0 भारत में होगा। तथा
3. **ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यालय का पता** :– वर्तमान समय में ट्रस्ट का प्रशासनिक कार्यालय विधायक निवास फरेन्दा, उत्तरी बाईपास, सोनौली मुख्य मार्ग आनन्दनगर, जनपद–महराजगंज, उ0 प्र0 पिन–273155 में होगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
4. **ट्रस्ट का सृजन** :–इस न्यास का सृजन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है।
5. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र** :–इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में होगा।

क्रमशः......3

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200186

6. **हितग्राही** :–इस ट्रस्ट के हितग्राही वे समस्त व्यक्ति या समूह भी होंगे जिसे मुख्य न्यासी द्वारा घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ समाज के पिछड़े गरीब, महिलायें, बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति भी इस न्यास के हितग्राही हो सकेंगे। समय–समय पर मुख्य न्यासी द्वारा इसकी घोषणा भी की जा सकेगी।

न्यास के उद्देश्य एवं नियमावली :–न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा रहा है।

ट्रस्ट के उद्देश्य :–ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकाय, शारीरिक शिक्षा संकाय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण केन्द्रों की स्थापना करना प्रबन्धन संचालन आदि की आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुक्त शिक्षण संस्थान आदि संस्थानों के द्वारा मान्यता लेकर विद्यालय संचालित करना।
3. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
4. खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः......4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200187

10. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण एवं ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।
11. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल तथा पैरा मेडिकल कालेजों, पालिटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग, बी0 फार्मा, एम0 फार्मा आदि कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
13. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों इत्यादि की प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
14. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
15. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
16. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि संविधाओं का व्यवस्था करना।
17. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना व ग्रन्थालय तथा पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करना।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः.....5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200188

5. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
6. उद्यानीकरण एवं जंगल का विकास करना।
7. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
8. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
9. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
18. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठियाँ, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
19. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
20. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना एवं किसी भी पंजीकृत सोसाइटी को इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
22. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।
23. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार करना।
24. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना। पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण संसाधन हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः.....6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200189

25. स्वास्थ्य जागरुकता के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित, बिक्री कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त कर सकना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊषर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह् आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य हो प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः.......7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200190

35. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए कार्य करेगा। ट्रस्ट हर सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रयास करना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जन कल्याण की भावना उवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
41. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों/कुरीतियों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूर बनाना।
42. धरना प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
44. सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनकों रोजगार उपलब्ध कराना।
45. मानव अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों सहित संवैधानिक उपबन्धों के संरक्षण व प्रसार, संगोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला का आयोजन करना।

क्रमशः.....8

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200191

46. लोक अदालत व पंचायत न्याय प्रणाली का प्रसार व निःशुल्क विधिक परामर्श की व्यवस्था करना।
47. सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान प्राप्त करना।
48. आयकर अधिनियम व तत्समय प्रचलित विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर छूट हेतु दान, चन्दे, अनुदान आदि लेकर उन्हें दान पावती/रसीद प्रदान करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से बजरंग बहादुर सिंह जो कि संस्थापक, न्यासकर्ता, मुख्य न्यासी एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।
3. यह कि मुख्य न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकार के बन्दोबस्त के अभाव में यह ट्रस्ट इनके उत्तराधिकारियों के बीच को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तानान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः......9

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200192

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अन्य विधिक व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराकर अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है, जब तक की वास्तविक रूप से कार्याभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः......10

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200193

4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि न्यूनतम 3 व अधिकतम 6 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनकों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। उस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

क्रमशः.......11

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये रु.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BH 200194

6. **कार्यक्षेत्रं :–**ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। विधिक उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस न्यास के कार्यक्षेत्र का विस्तार अन्य देशों में भी किया जा सकता है।

7. **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णयों में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के क्रिया–कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो कि सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. **सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :–**

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए पदेन सचिव के भी दायित्व का अधिकार अपने पास रखेंगे तथा सुविधानुसार आवश्यकता पड़ने पर एक या अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उप सचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पद पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पद का अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. **उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः.....12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200195

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्त्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

10. **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य भी होंगे :–

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के सभी कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष उप सचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

11. **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता।

क्रमशः..........13

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200196

12. सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष ही पदेन सचिव होगा जो सचिव के कर्त्तव्य व अधिकार का निर्वहन निम्नवत् करेंगे।

ट्रस्ट के अध्यक्ष/पदेन सचिव के निम्न कर्त्तव्य एवं अधिकार है :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रिया–कलापों एवं दिन प्रतिदिन गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्त तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न क्रिया–कलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी/विभागो/केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निर्देशकों/पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट/संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. न्यासी ट्रस्ट के अध्यक्ष कार्यों की अधिकता के अनुसार अपने किसी अन्तरंग सम्बन्धी को आवश्यकतानुसार सचिव बना सकता है।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

13. उप सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

1. अध्यक्ष/सचिव द्वारा उप सचिव की नियुक्ति व अधिकार एवं कर्त्तव्य का पालन करना तथा लिखित दिए गये कार्यो का निस्तारण करना।
2. अध्यक्ष/सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव, न्यासी अध्यक्ष/सचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर लिखित बिन्दुओं पर ही अपने अधिकार व कर्त्तव्य पालन कर सकेगा।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः........14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BH 200197

14. बैंक एकाउण्ट खोलना/संचालन करना :–

ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्टी के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है व संचालित किया जा सकता है।

15. विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता हैं अथव ले सकता है।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः........15

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BH 200198

5. ट्रस्ट किसी भी ऋण, दान, उपहार, आग्रह, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल–अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाडा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
8. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे।

i. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
ii. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
iii. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जाये और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिलली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
iv. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः........16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200199

v. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

vi. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

vii. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

viii. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन नहीं किया जायेगा।

ix. यह कि ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य है।

17. **सलाहकार मण्डल** :–इस ट्रस्ट के क्रिया–कलापों के प्रसार हेतु विशिष्ट लोगों का एक मार्ग दर्शक मण्डल बनाया जायेगा।

18. **विशेष** :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यक्रम / इकाई / कार्यालय / संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम / उप नियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट **ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट / न्यास** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम / उप नियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

क्रमशः....17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200200

(ख) अध्यक्ष / ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी / किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्हीं प्राविधान / प्राविधानों के शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। **ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट / न्यास** के उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट / न्यास** के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण का नाम व पता	फोटोग्राफ	हस्ताक्षर
1. अरूण कुमार सिंह पुत्र स्व0 आजाद अमर सिंह ग्राम–परसिया बुजुर्ग, पोस्ट–पोखरभिण्डा, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज।		अरूण कुमार सिंह
2. रामनगीना सिंह पुत्र स्व0 कोदई सिंह ग्राम–बाजारडीह, पोस्ट–लोकविद्यापीठनगर, तहसील–फरेन्दा, जिला–महराजगंज।		[signature]

बजरंग बहादुर सिंह
संस्थापक / अध्यक्ष / मुख्य न्यासकर्ता
ओऽम् शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट / न्यास

प्रारूपकर्ता
डॉ0 मनीष चौबे
एडवोकेट

2/2/18

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

[redacted]

बजरंग बहादुर सिंह
Bajarang Baahadur Singh
जन्म तिथि / DOB : 01/07/1971
पुरुष / Male

2969 6437 5737

मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार

[redacted]

पता:
आत्मज: परमेश्वर सिंह, मराठा, गोरखपुर, मरहठा, उत्तर प्रदेश, 273161

Address:
S/O: Parmeshwar Singh, Maratha, Gorakhpur, Marhatha, Uttar Pradesh, 273161

2969 6437 5737

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

अरुण कुमार सिंह
Arun Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 15/03/1982
पुरुष / MALE

7158 5537 3418

आधार-आम आदमी का अधिकार

अरुण कुमार सिंह

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: आज़ाद अमर सिंह,
90, परसिया बुज़ुर्ग,
महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश - 273155

Address:
S/O: Aazd Amar Singh, 90, Parsia
Buzurg, Maharajganj,
Uttar Pradesh - 273155

7158 5537 3418

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

रामनगीना सिंह
Ramnagina Singh
जन्म तिथि/ DOB: 01/08/1953
पुरुष / MALE

7824 2193 0405

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

AADHAAR

पता:
आत्मज: कोदई सिंह, टोला-धुसिया, बाजार डीह, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273162

Address:
S/O: Kodai Singh, tola- dhusiya, Bajar Dih, Maharajganj, Uttar Pradesh - 273162

7824 2193 0405

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

<u>परिशिष्ठ–1</u>

प्रथम बोर्ड आफ ट्रस्टी

क्र. सं.	नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1	बजरंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 परमेश्वर सिंह ग्राम व पोस्ट–मरहठा, जिला–गोरखपुर, हाल मुकाम–आनन्दनगर, जिला–महराजगंज।	मुख्य न्यासी / अध्यक्ष / न्यासकर्ता	
2.	श्रीमती पुनीता सिंह पत्नी श्री बजरंग बहादुर सिंह ग्राम व पोस्ट–मरहठा, जिला–गोरखपुर, हाल मुकाम–आनन्दनगर, जिला–महराजगंज।,	न्यासी	पुनीता सिंह
3.	आदर्श सिंह पुत्र श्री बजरंग बहादुर सिंह ग्राम व पोस्ट–मरहठा, जिला–गोरखपुर, हाल मुकाम–आनन्दनगर, जिला–महराजगंज।	न्यासी	आदर्श सिंह
4.	श्रीमती पूजा सिंह पत्नी श्री ऋषभ सिंह 127/26 डब्लू ब्लाक केशवनगर, जूही कालोनी, हमीरपुर रोड़, कानपुर।	न्यासी	Puja Singh

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 9 के पृष्ठ 101 से 140 तक क्रमांक 2 पर दिनाँक 07/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० श्रीवास्तव
उप निबंधक : फरेन्दा
महाराजगंज

PRINCIPAL
P.S.M. Public School
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
P.S.M. Public School
Anandnagar Maharajganj